श्री शेर सिंह : राज्य के ढंग से हम नहीं करते हैं। जितनी संस्थायें हैं वे सभी किसी किसी न किसी राज्य में हैं। सभी संस्थाओं को जो मांगती हैं देने की कोशिश करते हैं। अगर आप अलग से चाहें कि उत्तर प्रदेश से कितनी संस्थाओं ने प्रार्थना पत्र दिये तो उसके लिए अलग से मालूम कर आप को बता दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए समय चाहिये।

हैदराबाद के निजाम की उपाधियां

*1390. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय निजाम हैदराबाद के पोते को निजाम की गद्दी का उत्तराधिकारी मान लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वर्गीय निजाम के वर्तमान उत्तराधिकारी को अपने नाम के साथ कुछ उपाधियां लगाने का भी अधिकार है ;

(ग) क्या वर्तमान निजाम को अपने नाम के साथ कुछ ऐसी उपाधियां लगाने का भी अधिकार है जो ब्रिटिश सरकार ने स्वर्गीय निजाम को दी थीं ; और

(घ) यदि हां, तो यह कहां तक संविधान के अनुकूल है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) . भारत के गवर्नर जनरल और निजाम के बीच 25 जनवरी, 1950 को जो समझौता हुआ था उसकी धारा 3 के अधीन निजाम को अपने नाम के साथ उन उपाधियों को लगाने का अधिकार था जिन्हें वे वह 15 अगस्त, 1947 के ऐन पहले तक लगाते थे, और धारा 5 के अधीन भारत सरकार ने उत्तराधिकार (विधि तथा रीति के अनुसार) उपाधियों के बारे में भी स्वीकार करने की सुरक्षा दी थी।

(घ) हमारे परामर्शदाताओं के अनुसार यह बात संविधान के प्रतिकूल नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : स्वतंत्रता-प्राप्ति के बीस वर्ष बाद भी किसी भारतीय राजा को अंग्रेजों की दी हुई उपाधि अपने नाम के साथ लगाने का अधिकार देना भारतीय स्वतंत्रता के गौरव के प्रतिकल है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के समझौते के सम्बन्ध में कभी संसद् या संविधान सभा को भी विश्वास में लिया गया है कि भारतीय राजा स्वतंत्रता-प्राप्ति के बीस वर्ष बाद भी अंग्रेजों के समय की उपाधि लगा सकेंगे और भारत सरकार उनको स्वीकार करेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब से भारत गणराज्य हुआ है तब से अंग्रेजों की दी हुई उपाधि या टाइटिल को व्यक्तियों के नाम के आगे या पीछ लगाने की मुमानियत कर दी गई है। परन्तु जिन पुराने रूलर्ज को काबिनेन्ट में यह अधिकार दिया गया था कि वे ये टाइटल काम में ला सकते हैं उन के विषय में अपवाद किया गया था और बाकी जगह कहीं भी अंग्रेजों के टाइटल्ज को काम में लाने का अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जब वर्तमान निजाम के प्रिवी-पर्स में उनके जेब खर्च में काफी कमी कर दी गई है, तब तत्कालीन निजाम को अंग्रेजों की दी हुई उपाधियों को वर्तमान निजाम द्वारा लगाये जाने के अधिकार को समाप्त करने में क्या बाधा है ? मंत्री महोदय ने जिस समझौते का जिक्र किया है, वह पुराने निजाम के साथ

हुआ था, उनके उत्तराधिकारियों के साथ नहीं हुआ था। इस अवस्था में निजाम का कोई उत्तराधिकारी किस प्रकार उन उपाधियों का उपयोग कर सकता है और भारत सरकार कैसे उनको संवैधानिक मानती है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह प्रिविलेज का सवाल है। निजाम के उत्तराधिकारी का प्रिवी पर्स कम कर दिया गया है लेकिन उनके प्रिविलेजिज को कम नहीं किया गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था। अंग्रेजों का जो समझौता हुआ था, वह निजाम उस्मान अली के साथ हुआ था। निजाम के पोते के साथ अंग्रेजों का कोई समझौता नहीं हुआ था। इसलिए उन को वे उपाधियां लगाने का अधिकार संवैधानिक नहीं है। इस स्थिति में भारत सरकार वर्तमान निजाम को स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा दी हुई गुलाम हिन्दुस्तान की उपाधियां लगाने का अधिकार कैसे दे रही है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : उनके जो भी प्रिविलेजिज थे उनके उत्तराधिकारी के आने के बाद भी उन में किसी तरह की कमी नहीं की गई है। जहां तक उनके प्रिवी पर्सिज का सम्बन्ध है यह सदन जानता है कि उनको कम किया गया है। प्रिविलेजिज के बारे में भी कई तरह के प्रश्न उठाये गये हैं। उस पर सोच-विचार हो रहा है। यदि यह तय हुआ कि प्रिविलेजिज को भी कम किया जाये तो उस दिशा में अवश्य कदम उठाया जायेगा।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Mr. Speaker: There is no question of any point of order. We have decided that during the question hour there will be no point of order.

श्री मधु लिमये : हमारे अधिकारों को किन्हीं निर्णयों से कभी नहीं खत्म किया जा सकता है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे देश में संविधान सार्वभौम है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनसार हम लोग अंग्रेजों के द्वारा दिये गये खिताबों को नहीं रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छद 13 में कहा गया है कि पहले के जो कानून संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध हैं वे वायड होंगे। इस अनुच्छद में "कानून" की परिभाषा इतनी व्यापक है कि रस्मो-रिवाज रीति आदि सब उसमें आ जाते हैं। एसी हालत में क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि जो करार या संधियां आदि हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों से टकराते हैं उन को खत्म कर दिया जाये? आप इस पर अपनी व्यवस्था दीजिए।

Mr. Speaker: I will do it.

श्री मधु लिमये : आप व्यवस्था कब देंगे?

SHORT NOTICE QUESTION

Nagarjunasagar Dam Project

+

SNQ. 35. Shri Ranga:
Shri Gadilingana Gowd:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that so far transplantation of paddy has not taken place in more than 75 per cent (about 4 lakhs of acres) in the Krishna delta till now (i.e. one month's delay);

(b) whether it is a fact that such a delay usually results in about 25